# चयन समिति (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं वरिष्ठता निर्धारण), जनपद न्यायालय, औरैया।

समिति की बैठक दिनांक-25.07.2022 को समय 04.30 बजे न्यायालय परिसर औरैया में स्थापित वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष में सम्पन्न हुई।

समिति की सम्मानित सदस्य श्री प्रकाश नाथ श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-1, औरैया अवकाश पर है। बैठक में समिति के सम्मानित सदस्य श्री दिवाकर कुमार, सिविल जज (सी०डि०), औरैया उपस्थित हुए।

समिति के समक्ष मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, औरैया द्वारा प्रेषित आख्या का अवलोकन किया गया।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, औरैया की आख्या के अनुसार जनपद न्यायालय औरैया में निम्नांकित नियमित तृतीय श्रेणी कर्मचारी कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त है, जिनका वरिष्ठता क्रम के अनुसार विवरण निम्न प्रकार से है :-

| क्रम सं० | कर्मचारी का नाम | कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक | सेवाकाल |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती ऊषा देवी | 01.10.2012 (मृतक आश्रित) | 9 वर्ष 9 महीना लगभग |
| 2 | श्री भूपेन्द्र सिंह | 10.04.2019 | 3 वर्ष 3 माह लगभग |
| 3 | श्री कुलदीप सिंह | 10.04.2019 | 3 वर्ष 3 माह लगभग |
| 4 | श्री आलोक कुमार | 10.04.2019 | 3 वर्ष 3 माह लगभग |
| 5 | श्री अभिषेक यादव | 29.11.2019 | 2 वर्ष 8 माह लगभग |
| 6 | श्री प्रशान्त कटियार | 29.11.2019 | 2 वर्ष 8 माह लगभग |
| 7 | श्री जाविद | 29.11.2019 | 2 वर्ष 8 माह लगभग |
| 8 | श्री अमित कुमार | 29.11.2019 | 2 वर्ष 8 माह लगभग |
| 9 | श्री यशवंत सिंह | 29.11.2019 | 2 वर्ष 8 माह लगभग |
| 10 | श्री मोहित मिश्रा | 29.11.2019 | 2 वर्ष 8 माह लगभग |
| 11 | श्री संदीप कुमार | 30.11.2019 | 2 वर्ष 8 माह लगभग |
| 12 | श्री विक्रम सिंह | 03.12.2019 | 2 वर्ष 8 माह लगभग |
| 13 | श्री प्रदीप सिंह | 09.12.2019 | 2 वर्ष 8 माह लगभग |
| 14 | श्री अर्पित कुमार | 09.12.2019 | 2 वर्ष 8 माह लगभग |

उपरोक्त सूची के क्रम संख्या-1 में वर्णित श्रीमती ऊषा देवी के विरुद्ध दो प्रारम्भिक जांचें लम्बित हैं।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, औरैया द्वारा प्रस्तुत आख्या के अनुसार इस जजशिप में 46 पद वरिष्ठ सहायक (Senior Assistant) वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे-2800 के रिक्त हैं।

THE UTTAR PRADESH STATE DISTRICT COURT SERVICE RULES, 2013 का भी अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को निम्न भागों में विभक्त किया गया है :-

(I)- Administrative Officer वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे-4600
(II)- Head Assistant वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे-4200
(III)- Senior Assistant वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे-2800
(IV)- Junior Assistant वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे-2000
(V)- Paid Apprentices वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे-1900

प्रोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या -5345/2019, Recruitment Cell/Allahabad H.C. दिनांकित-09.08.2019 तथा उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-4/2022/13(4) 2021/का-1-2022, दिनांकित-6 मई, 2022 का अवलोकन किया गया। उक्त शासनादेश के प्रस्तर 1.2 में निम्न व्यवस्था दी गयी है-

1.2- विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों में यह सिद्धान्त निर्धारित हो चुका है कि विभागीय चयन समिति को चयन हेतु अभ्यार्थियों की उपयुक्तता (Suitability) के समुचित मानको के निर्धारण हेतु अपनी प्रक्रिया तथा ढग (Method & Procedure)निर्धारित करने का अधिकार है। चयन समिति अनेक उपलब्ध अभिलेख तथा सामूहिक विवेक(Collective Wisdom) के आधार पर अपनी संस्तुति करती है।

1.3- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायालयीय वादों (Court Case) में यह निर्देश और सिद्धांत (Instructions & Rulings) दिये गये हैं कि प्रोन्नति हेतु चयन के लिये अभ्यार्थियों की

विधियो (Own Methods) एवं प्रक्रियाओ (Procedures) का निर्धारण करने हेतु अपने विवेक का प्रयोग करने हेतु पूरी तरह स्वतंत्र है।

माo उच्चतम न्यायालय द्वारा कतिपय वादो मे पारित महत्वपूर्ण निर्णय / समीक्षाएं संक्षेप मे निम्न प्रकार से है -

(a) In A.K. Narula case (AIR 2007 SC 2296), the Hon'ble Supreme Court has observed

"the guidelines give a certain amount of play in the joints to the DPC by providing that it need not be guided by the overall grading recorded in the CRs, but may make its own assessment on the basis of the entries in the CRs. The DPC is required to make an overall assessment of the performance of each candidate separately, but by adopting the same standards, yardsticks and norms. It is only when the process of assessment is vitiated either on the ground of bias, malafide or arbitrariness, the selection calls for interference. Where the DPC has proceeded in a fair, impartial and reasonable manner, by applying the same yardstick and norms to all candidates and there is no arbitrariness in the process of assessment by the DPC, the court will not interfere"

(b) In Union of India vs. K. V. Jankiraman case (AIR 1991 SC 2010), the Supreme Court has taken cognizance of role of DPC the case of an officer on whom a penalty has been imposed and has held that:

"An employee has no right to promotion. He has only right to be considered for promotion. The promotion to a post and more so, to a selection post, depends upon several circumstances. To qualify for promotion, the least that is expected of an employee is to have an unblemished record. That is the minimum expected to ensure a clean and efficient administration and to protect the public interest. An employee found guilty of misconduct cannot be placed on par with the other employees, and his case has to be treated differently. In fact, while considering an employee for promotion his whole record has to be taken into consideration and if a promotion committee takes the penalties imposed upon the employee into consideration and denies him the promotion, such denial is not illegal and unjustified."

(c) In UOI & Anr Vs. S.K. Gocl & Ors. (Appeal (Civil) 689/2007- SLPO-2410/2007), the Hon'ble Supreme Court has held that: "DPC enjoyed full discretion to devise its method and procedure for objective assessment of suitability and merit of the candidate being considered by it. Hence interference by High Court is not called for. While delivering the above judgement, the Division Bench has observed that: "...it is now more or less well settled that the evaluation made by an Expert Committee should not be easily interfered with by the Court which do not have the necessary expertise to undertake the exercise that is necessary for such purpose."

समिति द्वारा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, औरैया की आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों तथा उपरोक्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की चरित्र पंजिका का अवलोकन किया गया है।

उपरोक्त सूची के क्रम संख्या-1 में वर्णित कार्मिक श्रीमती ऊषा देवी के विरुद्ध दो प्रारम्भिक जांचे संख्या 12/18 व 01/19 लम्बित हैं। इनकी प्रोन्नति जांच के परिणामों के अधीन रहेगी।

क्रम संख्या-2 से क्रम संख्या-4 तक वर्णित कर्मचारियों का सेवाकाल 3 वर्ष से अधिक तथा क्रम संख्या-5 से क्रम संख्या-14 तक वर्णित कर्मचारियों का सेवाकाल Approximate 2 वर्ष 8 माह व्यतीत हो चुका है।

समिति के अनुसार उपरोक्त सूची के क्रम संख्या-2 से क्रम संख्या-4 तक वर्णित कर्मचारियों का सेवाकाल तीन वर्ष से अधिक व्यतीत होने के कारण उक्त कार्मिकों की प्रोन्नति की जा सकती है। सूची के क्रम संख्या-5 से क्रम संख्या-14 तक वर्णित कर्मचारियों का सेवाकाल Approximate 2 वर्ष 8 माह व्यतीत हो चुका है। समिति के अनुसार क्रम संख्या-5 से क्रम संख्या-14 तक वर्णित कर्मचारियों के सेवाकाल में चार माह का Relaxation देकर उक्त कार्मिकों की भी प्रोन्नति की जा सकती है।

इस प्रकार उक्त कार्मिकों में से श्रीमती ऊषा देवी को छोड़कर शेष 13 निम्नांकित कार्मिक प्रोन्नति हेतु पात्र पाये गये हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है -

| क्रम सं० | कर्मचारी का नाम | कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक | पदनाम | प्रोन्नति पश्चात पदनाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री भूपेन्द्र सिंह | 10.04.2019 | कनिष्ठ सहायक | वरिष्ठ सहायक |
| 2 | श्री कुलदीप सिंह | 10.04.2019 | कनिष्ठ सहायक | वरिष्ठ सहायक |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | श्री अभिषेक यादव | 29.11.2019 | कनिष्ठ सहायक | वरिष्ठ सहायक |
| 5. | श्री प्रशान्त कटियार | 29.11.2019 | कनिष्ठ सहायक | वरिष्ठ सहायक |
| 6. | श्री जाविद | 29.11.2019 | कनिष्ठ सहायक | वरिष्ठ सहायक |
| 7. | श्री अमित कुमार | 29.11.2019 | कनिष्ठ सहायक | वरिष्ठ सहायक |
| 8 | श्री यशवंत सिंह | 29.11.2019 | कनिष्ठ सहायक | वरिष्ठ सहायक |
| 9. | श्री मोहित मिश्रा | 29.11.2019 | कनिष्ठ सहायक | वरिष्ठ सहायक |
| 10. | श्री संदीप कुमार | 30.11.2019 | कनिष्ठ सहायक | वरिष्ठ सहायक |
| 11. | श्री विक्रम सिंह | 03.12.2019 | कनिष्ठ सहायक | वरिष्ठ सहायक |
| 12. | श्री प्रदीप सिंह | 09.12.2019 | कनिष्ठ सहायक | वरिष्ठ सहायक |
| 13 | श्री अर्पित कुमार | 09.12.2019 | कनिष्ठ सहायक | वरिष्ठ सहायक |

उपरोक्त कार्मिकों की चरित्र पंजिका के अनुसार किसी भी कार्मिक के विरुद्ध कोई विपरीत टिप्पणी उपलब्ध नहीं है।

तद्नुसार वरिष्ठता क्रम के अनुसार उपरोक्त सूची में वर्णित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायक (वेतमान 5200-20,200 ग्रेड पे 2000) से वरिष्ठ सहायक के पद पर (वेतनमान 5200-20,200 ग्रेड पे 2800) में प्रोन्नति किये जाने की संस्तुति की जाती है।

25/07/22

( श्री दिवाकर कुमार)
सिविल जज (सी०डि०)
सदस्य,
नियुक्ति, प्रोन्नति एवं वरिष्ठता निर्धारण समिति,
जनपद न्यायालय औरैया।
25.07.2022

25/07/22

(अनिल कुमार वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
अध्यक्ष,
नियुक्ति, प्रोन्नति एवं वरिष्ठता निर्धारण समिति,
जनपद न्यायालय औरैया।
25.07.2022